

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक:प.11(45)विजा/राम/2023/ 1970

दिनांक:- 16-9-23

—: आदेश :-

श्री शिव सिंह शेखावत, प्रधानाध्यापक, पीटीएस देवारी, उदयपुर (स्थानान्तरणाधीन) को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री शिव सिंह शेखावत, प्रधानाध्यापक, पीटीएस देवारी, उदयपुर का मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निर्धारित किया जाता है।

निलम्बनकाल में श्री शिव सिंह शेखावत को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

अध्यक्ष राजस्व मण्डल के  
आदेशानुसार

निबन्धक  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

क्रमांक:सम/ 1971-75

दिनांक 16-09-23

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि श्री शिव सिंह शेखावत, प्रधानाध्यापक, पीटीएस देवारी, उदयपुर को उक्त निलम्बन आदेश तामील करवाते हुए अविलम्ब श्री शिव सिंह शेखावत, तहसीलदार को अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।
2. उप निबन्धक (रातस), राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक (बिल्स), राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
4. श्री शिव सिंह शेखावत, प्रधानाध्यापक, पीटीएस देवारी, उदयपुर (निलम्बित) मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर मार्फत निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
5. आदेश पंजिका।

निबन्धक  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

Signature valid

Digitally signed by Priva Bhargava  
Designation: Additional Registrar  
Date: 2023.09.16 21:13:42 IST  
Reason: Approved